

कार्यालय जिला पंचायत, बाँदा

(संशोधित अल्पकालिक खनिज तह बाजारी ठेका नीलामी सूचना वर्ष 2017-18)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासकीय गजट दिनांक - 11 जनवरी 2014 के प्राविधानों के अनुसार जनपद के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत निकलने वाली बालू, मोरंम, रेत अन्य खनिज गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिट्टी आदि की तहबाजारी ठेका नीलामी वर्ष 2017-18 अर्थात् 01.04.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि हेतु तहबाजारी ठेका नीलामी दिनांक - 24 मार्च, 27 मार्च एवं 30 मार्च 2017 तथा 03 अप्रैल, 04 अप्रैल 2017 को दिन में 11.00 बजे से नीलाम समिति के समक्ष कार्यालय जिला पंचायत, बाँदा में कराये जाने विषयक विज्ञप्ति पूर्व में प्रकाशित करायी गयी है। आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा के आदेश दिनांक - 23.03.2017 के क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट बाँदा के कार्यालय पत्रांक - 678 (4)जे0ए0 दिनांक - 23 मार्च 2017 द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में उक्त नीलामी दिनांक - 30.03.2017 को दिन में 11.00 बजे से नीलामी समिति के समक्ष करायी जायेगी। खनिज तहबाजारी ठेका नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नीलामी बोली के पूर्व मु0 50.00 लाख रू0 की नकद जमानत के रूप में धनराशि एवं जिलाधिकारी, द्वारा प्रदत्त मु0 25.00 लाख रू0 का दो वर्ष के अन्तर्गत निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र नीलाम समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अन्य शर्तें निम्नवत् है :-

शर्तें

1. खनिज तहबाजारी ठेका/नीलामी की कार्यवाही शासकीय गजट दिनांक-11 जनवरी, 2014 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।
2. ठेका नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र एवं मु0 25.00 लाख रू0 का हैसियत प्रमाण पत्र वैधता के अन्तर्गत प्रस्तुत करना होगा।
3. जिला पंचायत बाँदा के किसी भी बकायेदार, जिला पंचायत के अधिकारी/कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि के सगे रिश्तेदार व पंजीकृत अधिवक्ता को नीलामी बोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
4. नीलामी बोली से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को मु0 50.00 लाख की नकद धनराशि जमानत के रूप में नीलाम समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
5. उच्चतम बोलीदाता को नीलामी की मु0 01.00 करोड़ तक की धनराशि तत्काल जमा करना होगा, जो जमानत की धनराशि से अलग होगी। धनराशि न जमा करने पर जमानत की सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जब्त कर ली जायेगी। बोली की अवशेष धनराशि कार्यादेश जारी करने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।
6. खनिज तह बाजारी ठेका/नीलामी सम्पन्न कराने हेतु गठित नीलाम समिति की संस्तुति पर ठेका/नीलामी स्वीकृति/अस्वीकृत का अधिकार बिना कारण बताये मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, बाँदा में निहित होगा। ठेका नीलामी पर अन्तिम निर्णय के पश्चात किसी भी शिकायती प्रार्थनापत्र एवं आफर आदि पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. ठेका नीलामी स्वीकृति के पश्चात नियमानुसार कार्यादेश स्वीकृत शर्तों के अनुबन्ध के उपरान्त निर्गत किया जायेगा।
8. अधिकतम बोलीदाता की बोली सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत होने के पश्चात निर्धारित दर के जनरल स्टाम्प पर अनुबन्ध की औपचारिकतायें स्वीकृत शर्तों पर पूर्ण कराना होगा।
9. उच्चतम ठेका बोली के पश्चात प्रथम व द्वितीय बोलीदाता की जमानत रोककर अन्य सभी बोलीदाताओं की जमानत मा0 अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार वापस कर दी जायेगी।
10. ठेका अवधि समाप्ति के पूर्व ही यदि ठेकेदार द्वारा ठेका छोड़ दिया जाता है अथवा उसके द्वारा अनुबन्ध पत्र एवं उपविधि में वर्णित शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ठेका मा0 अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत, बाँदा द्वारा निरस्त करते हुये पुनः सार्वजनिक नीलामी द्वारा अथवा निविदा आमंत्रित करके नीलामी ठेका किया जायेगा। यदि दुबारा ठेके में पहले की अपेक्षा कम ठेका धनराशि आती है तो कमी की पूर्ति पूर्व के ठेकेदार से भू-राजस्व के बकायों की भौति की जायेगी।

11. यदि किसी कारणवश शासन/प्रशासन द्वारा खनिज तह बाजारी वसूली में नियमों के दृष्टिगत अवरोध उत्पन्न किया जाता है या किसी प्रकार का अवरोध होता है तो जिला पंचायत बांदा किसी भी क्षतिपूर्ति के शिष्ये उत्तरदायी नहीं होगी।
12. ठेकेदार द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने के कारण जमा धनराशि जब्त करने का कारण बताओ नोटिस सक्षम प्राधिकारी जिला पंचायत, बांदा द्वारा जारी किया जायेगा। संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने की दशा में ठेका निरस्त करने व जमा धनराशि जब्त करने की संस्तुति पर सक्षम प्राधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायत, बांदा द्वारा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

(निर्मला सिंह)

अध्यक्ष

जिला पंचायत, बांदा

(रणमत सिंह)

अपर मुख्य अधिकारी

जिला पंचायत, बांदा

कार्यालय जिला पंचायत, बांदा

पत्रांक - 1073 / तह बाजारी ठेका / 2016-17 / दिनांक - 24/03/2017

उक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा को सादर अवलोकनार्थ।
2. मा0 अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत, बांदा को अवलोकनार्थ।
3. जिलाधिकारी महोदय, बांदा।
4. पुलिस अधीक्षक महोदय, बांदा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त तिथि में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. समस्त सम्मानित सदस्य, जिला पंचायत, बांदा / प्रमुख क्षेत्र पंचायत जनपद-बांदा।
6. समस्त उपजिलाधिकारी / तहसीलदार / खण्ड विकास अधिकारी जनपद-बांदा को अपने नोटिस बोर्ड में चरपा हेतु।
7. व्यवस्थापक प्रादेशिक समाचार पत्र दैनिक अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा व स्थानीय समाचार पत्र दैनिक श्री इण्डिया बांदा को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त विज्ञप्ति अपने समाचार पत्र के अगले अंक में कम से कम स्थान में बांदा संस्करण में प्रकाशित कराकर दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
8. वित्तीय परामर्शदाता / अभियन्ता (सदस्य नीलाम समिति) जिला पंचायत, बांदा को इस आशय से प्रेषित कि वे निर्धारित समय में कार्यालय जिला पंचायत, बांदा में उपस्थित रहकर उपरोक्तानुसार नीलामी कार्यवाही सम्पादित करायें।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बांदा को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त विज्ञप्ति बांदा जिले की वेबसाइट <http://banda.nic.in> पर डाउनलोड कराने का कष्ट करें।
10. प्रभारी कोतवाली, शहर-बांदा को इस आशय से कि वे निर्धारित तिथि में शांति व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. प्रशासनिक अधिकारी, जिला पंचायत, बांदा।
12. कैशियर जिला पंचायत, बांदा को इस निर्देश के साथ कि वे नीलाम तिथि को बोली दाताओं की जमानत व बोली धनराशि जमा करायें।
13. श्री आत्माराम सिंह लेखाकार एवं श्री विनय कुमार राजस्व निरीक्षक को इस निर्देश के साथ कि वे नीलाम तिथि को बोलीदाताओं की जमानत एवं ठेका धनराशि जमा कराने में कैशियर जिला पंचायत, बांदा को सहयोग प्रदान करें।
14. समस्त राजस्व निरीक्षक एवं कर समाहर्ताओं को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त नीलामी का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करें।
15. जिला पंचायत, बांदा के नोटिस बोर्ड में चरपा हेतु।



अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बांदा
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बांदा